(45)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 94-III-15

निगरानी प्रकरण क्र................/2014

विश्वनाथ तनय जागेश्वर जायसवाल उम्र– 85 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम धनहा, तहसील रामपुर नैकिन, बृत्त हनुमानगढ़, जिला–सीधी (म0प्र0) ––––निगरानीकर्ता

बनाम

रामजियावन तनय मंगाली तेली उम्र–80 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम धनहा, तहसील रामपुर नैकिन, बृत्त हनुमानगढ़, जिला–सीधी (म0प्र0)–––––––उत्तरवादी

दिनांक 14.1.15 को श्री प्रमाद कुमार अवस्थी अभि० द्वारा प्रस्तुत/

14.1.15
SO

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय बृत्त हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0) के प्रकरण क्र. 06/अ–12/2014–15 पारित आदेश दिनांक– 13.11.2014

14.1.15

2

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह कि ग्राम धनहा, तहसील रामपुर नैकिन बृत्त हनुमानगढ़ जिला–सीधी (म0प्र0) की भूमि खसरा नम्बर 2085 के बावत् उत्तरवादी द्वारा सीमाकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया सरहददी काश्तकारो को बिना [illegible] सीमांकन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फिर भी उक्त सीमांकन [illegible] पुष्टि [illegible] दी जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त सीमांकन पुष्टि के आवेदन के [illegible]रूद्ध मान[illegible]य न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत की जा रही है–

निगरानी के आधार

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य एवं सहज न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-94-तीन/15 **जिला** - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्र. 06/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) **सदस्य**	